कार्यालय मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र.शासन
क–खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) 462004

दूरभाष कमॉक – 0755–2551612 ई मेलः cevsbho@mp.nic.in

कार्यालय में किराये के वाहन निविदा

निविदा क्रमांक / इंदौर / वाहन / 2026–27 / 003

विषय – सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	निविदा की शर्तें	02 से 07
2	अधिकतम निर्धारित राशि	07
2	परिशिष्ट – 1 : तकनीकी बिड	08 एवं 09
3	परिशिष्ट – 2 : वित्तीय बिड	10

ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 2000/– (रू. दो हजार मात्र) एवं जीएसटी अतिरिक्त

निविदा की शर्ते

1. निविदा शेड्यूल : कार्यालय अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उपमुख्य विद्युत निरीक्षक, इंदौर वृत्त लिए वाहन किराये पर लेने का निविदा शेड्यूल निम्नानुसार है–

ऑन लाईन निविदा प्रकाशित की तिथि	**18 मई, 2026**
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	**18 मई, 2026 सायं 06:00 बजे से**
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	**30 मई, 2026 सायं 06:00 बजे तक**
तकनीकी बिड निविदा खोलने की तिथि एवं समय	**01 जून, 2026 दोपहर 01:00 बजे (संभावित)**
वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	**03 जून, 2026 दोपहर 01:00 बजे (संभावित)**

निम्नानुसार वाहन किराये पर लिए जाने हेतु परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 में निविदा दी जाना है –

सरल क्रमांक	वाहन की एक्स शोरूम प्राईज	वाहन की संख्या	स्थान
1	8 लाख	01	इंदौर वृत्तीय कार्यालय पता– 156, आरएनटी मार्ग, इंदौर (म.प्र.)–452008

2. धरोहर राशि :

2.1 निविदाये केवल ई टेण्डर के माध्यम से ही ऑनलाइन प्राप्त (Download) कर एवं ऑनलाइन जमा की जा सकती है। निविदा क्रय हेतु निविदा प्रपत्र की कीमत रू0 2,000/– (जीएसटी अतिरिक्त) तथा धरोहर राशि रू0 6,000/–(रूपये छः हजार मात्र) ऑनलाईन जमा किया जाना आवश्यक है।

2.2 निविदाकर्ता को वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पोर्टल पर पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करने की प्रक्रिया एवं निविदा ऑनलाइन क्रय/जमा करने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 01204001002 (सोमवार से शानिवार समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक) या ईमेल आईडी **support-eproc@nic.in** पर संपर्क कर सकते है।

2.3 अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) इंदौर वृत्तीय कार्यालय में पहले से जमा धरोहर राशि अथवा अन्य कोई राशि इस निविदा की धरोहर राशि के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.4 निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर को वापस लेने अथवा उसमें परिवर्तन करने या शर्तो तथा दशाओं में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि न्यूनतम दर पाई जाने वाली निविदाकर्ता इकाई अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) इंदौर वृत्तीय कार्यालय के साथ अनुबंध नहीं करती है, ऐसी स्थिति में उसकी धरोहर राशि रूपये 6,000/–(रूपये छः हजार मात्र) राजसात कर ली जावेगी।

2.5 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

2.6 ऑन लाईन टेण्डर जमा करने के अनुदेश एमपी टेन्डर पोर्टल पर उपलब्ध हैं ।

2.7 टेंडर भरते समय टेंडर भरने वाली एजेंसी द्वारा किसी प्रकार की शर्त/प्रोविजन दिए जाने पर टेंडर मान्य नहीं होगा।

2.8 निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड की हार्ड कॉपी किन्ही भी परिस्थितियों में स्वीकार नही की जावेगी।

3. निविदाकर्ता इकाई की पात्रतायें (Eligibility)

3.1 निविदाकर्ता इकाई का वैद्य **फर्म का पंजीयन, जी.एस.टी. नम्बर, टेण्डर स्वीकृति पत्र, टेण्डर जमा करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का पत्र, एजेन्सी का ब्लेक लिस्टिेड न होने संबंधित अण्डरटेकिंग एवं स्थाई आयकर लेखा संख्या (PAN) आयकर रिटर्न की छायाप्रति, अनुभव प्रमाण पत्र** की प्रति होना अनिवार्य है, यह जानकारी संलग्न नहीं करने पर निविदाकर्ता को तकनीकी बिड में असफल माना जावेगा जिसके फलस्वरूप निविदाकर्ता की वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

3.2 निविदाकर्ता इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का कॉम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है।

3.3 अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उपमुख्य विद्युत निरीक्षक, इंदौर वृत्तीय कार्यालय को दिये जाने वाले वाहन का टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंसी का पंजीयन होना अनिवार्य है।

3.4 निविदाकर्ता इकाई को कम से कम दो वर्ष का शासकीय कार्यालय (निगम/मण्डल/अर्द्ध शासकीय कार्यालय आदि) में मासिक दरों पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है, तत्संबंधी प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.5 निविदाकर्ता इकाई के पास स्वयं के वाहन पंजीकृत होना आवश्यक है जिनके लिए दरें चाही गई है।

3.6 निविदाकर्ता इकाई का टैक्सी व्यवसाय में गत तीन वर्षो (2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) कापृथक–पृथक रू. 25 लाख का वार्षिक टर्न ओवर होना आवश्यक है। इससे संबंधित पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण–पत्र एवं आयकर विवरणी पत्रक आवश्यक होगा।

3.7 निविदाकर्ता इकाई का इंदौर में स्थानीय कार्यालय होना अनिवार्य है।

4. निविदा का तैयार किया जाना तथा जमा किया जाना :–

4.1 सर्वप्रथम निविदा क्रय हेतु वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पोर्टल पर निविदा प्रपत्र की कीमत रू0 2,000/– (जीएसटी अतिरिक्त) ऑनलाइन जमा कर ऑनलाइन प्राप्त (Download) करनी होगी। निविदा प्रपत्र तकनीकी एवं वित्तीय बिड पूर्णतः भरकर **धरोहर** राशि रू0 6,000/– ऑनलाइन जमा करते हुऐ अंतिम तिथि के पूर्व ऑनलाइन जमा किया जाना आवश्यक है। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुऐ उसके पूर्व ही निविदा जमा कर दे। निविदाकर्ताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे निविदानुसार चाहे गये दस्तावेजो को सही तरीके से अपलोड करे corrupt, destroyed or unreadable अपलोड दस्तावेज अमान्य कर दिये जावेगे।

4.2 निविदाकर्ताओं की ऑनलाईन प्राप्त तकनीकी बिड (**परिशिष्ट–1**) खोली जावेगी तथा उनकी अर्हताओं का तथा तकनीकी बिड के अन्य दस्तावेजो का परीक्षण किया जावेगा। आनलाईन प्राप्त वित्तीय बिड (**परिशिष्ट–2**) केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की खोली जायेगी, जो तकनीकी बिड में सफल होंगे।

4.3 तकनीकी एवं वित्तीय बिड (दरें) को संलग्न परिशिष्ट में भरकर ऑनलाइन जमा किया जावे।

4.4 वित्तीय बिड (**परिशिष्ट–2**) के प्रत्येक इंद्राज को भरा जाना आवश्यक है। जिससे मानकीकृत दर का निर्धारण किया जाकर कार्यवाही की जा सके।

5. निविदा स्वीकार करने का अधिकार

मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा),सतपुडा भवन, भोपाल को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकार कर सकेंगे। मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा), सतपुडा भवन, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी निविदाकर्ताओं पर बंध्नकारी होगा।

6. वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध की शर्तें :–

अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) इंदौर एवं चयनित निविदाकर्ता ईकाई के मध्य आदेश जारी होने पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि हेतु स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध किया जावेगा।

6.1 मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा),सतपुडा भवन, भोपाल द्वारा इंदौर वृत्तीय कार्यालय हेतु वाहन (टैक्सी) के लिए तीन प्रकार की दरें आमंत्रित की जा रही हैं जिसमें :–

(अ) अधिकारियों को मासिक किराये पर म.प्र. शासन के नियमानुसार निर्धारित 1500 कि.मी. की यात्रा प्रतिमाह हेतु टैक्सी उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ब) 1500 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति अतिरिक्त कि.मी. की दर

(स) प्रति रात्रि विश्राम (रात 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक) के लिए भी दरें आमंत्रित की गई हैं ।

निविदा में तीनो दरे भरी जाना आवश्यक है।

6.2 निविदा के माध्यम से वाहन (टैक्सी) किराये पर लिये जाने हेतु दरों का मानकीकृत किया जावेगा जिसमें प्रथम न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी ।

6.3 विद्युत निरीक्षकालय एक शासकीय विभाग है। शासकीय कार्य के लिए वाहन का उपयोग हो रहा है। फलस्वरूप पथ/चुंगी टैक्स से छूट है।

6.4 इकाई द्वारा माह की समाप्ति पर देयक 03 दिन में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इकाई द्वारा संतोषजनक सर्विस नहीं दी जाती है ऐसी स्थिति में तत्समय देयक से आनुपातिक राशि काट ली जावेगी।

6.5 निविदा में दी गयी दरें पूर्ण अनुबंधित अवधि के लिए मान्य होंगी एवं इस दौरान ईंधन अथवा किसी अन्य टैक्स में बढ़ोतरी होने पर अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा दरों में कोई बढ़ोतरी मान्य नहीं की जायेगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी इकाई की होगी।

6.6 वाहन का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटे में होना अनिवार्य है तथा मध्यप्रदेश में कहीं भी आने–जाने का परमिट हो।

6.7 वाहन किराये की दर में, वाहन चालक का वेतन, ईधन, रखरखाव समस्त करों सहित शामिल हों, दौरे पर जाने की स्थिति में अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान इकाई को नहीं किया जावेगा।

6.8 वाहन चालक की व्यवस्था ट्रेवल इकाई द्वारा स्वयं की जावेगी तथा चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे इकाई द्वारा नियमित प्रदाय किये जावेंगे।

6.9 वाहन चालक सामान्यतः 12 घंटे प्रतिदिन कार्य के लिए उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त कार्य अवधि होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा। वाहन चालक के अवकाश अथवा अनुपस्थिति की दशा में इकाई द्वारा वैकल्पिक वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।

6.10 मासिक किराये के वाहनो से कार्यालय की आवश्यकताओं के हिसाब से कार्य किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों एवं 24 घंटे भी कार्य हो सकता है।

6.11 दरें डीज़ल ए.सी. वाहनों हेतु ही दी जावे, जिसमें ईंधन व्यय, समस्त कर, व्यय, वाहन चालक एवं अन्य दायित्व सम्मिलित होंगे।

6.12 निविदाकर्ता इकाई के वाहन चालक के पास वैध कमर्शियल लायसेंस होना अनिवार्य है।

6.13 वाहन एवं वाहन चालक दोनों का बीमा होना अनिवार्य है।

6.14 वाहन चालक की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा वह मेडिकल फिट होना चाहिये। वाहन चालक का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। जिसकी जबावदारी इकाई की होगी। वाहन चालक पर किसी प्रकार का पुलिस केस/न्यायालीन मामला दर्ज नही होने की जवाबदारी इकाई की होगी।

6.15 वाहन उपयुक्त न होने पर अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय के चाहे जाने पर वाहन बदला जायेगा।

6.16 वाहन चालक उपयुक्त न होने पर अथवा उसका व्यवहार ठीक न होने पर निविदाकर्ता इकाई द्वारा अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय के निर्देशानुसार तत्काल उसे बदला जायेगा।

6.17 वाहनों के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, बीमा टैक्सी कोटे में पंजीयन एवं फिटनेस आदि निविदाकर्ता इकाई द्वारा मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा), सतपुडा भवन, भोपाल एवं वाहन आबंटित किये जाने वाले कार्यालय को प्रस्तुत कर अवलोकित कराये जायेंगे।

6.18 अधिकारी के अर्जित अवकाश एवं टैक्सी का उपयोग कार्यालयीन यात्रा के लिए की जाती है तो इस स्थिति में निर्धारित दूरी में से औसत के आधार पर अर्जित अवकाश के दिवसों एवं टैक्सी का उपयोग कार्यालयीन यात्रा में किये जाने के दिवसों की कटौती की जाकर देयक का भुगतान किया जायेगा ।

6.19 इकाई द्वारा अनुबंध का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने से अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय को हुई हानि की वसूली इकाई से वसूल की जावेगी। यह वसूली इकाई द्वारा प्रस्तुत देयकों, धरोहर राशि अथवा इकाई को देय अन्य किसी राशि में से की जावेगी।

6.20 वाहन (टैक्सी) खराब होने की दशा में इकाई को वैसा ही वाहन (टैक्सी) तत्काल उपलब्ध करांना होगा। व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में प्रति दिवस रू0 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) से कटौती की जावेगी। इकाई द्वारा वाहन (टैक्सी) उपलब्ध न कराने की दशा में बाजार से दूसरा वाहन (टैक्सी) किराये पर अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा लिया जाकर वास्तविक भुगतान की गई राशि इकाई से वसूल की जावेगी। ड्राइवर की अनुपस्थिति अथवा अवकाश पर रहने की स्थिती में उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी। अन्यथा रू 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) प्रति दिन कटौती की जावेगी ।

6.21 कार्यालय अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर के अधिकारियों/कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार/संबंधी इस निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

6.22 इकाई, जिसके द्वारा अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय से अनुबन्ध किया गया है, उनके द्वारा किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को कार्य सबलेट नहीं दिया जा सकेगा ।

6.23 निविदाकर्ता इकाई द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित किया गया पता ही अनुबंध एवं आरबिट्रेशन आदि के समस्त उद्देश्यों हेतु मान्य होगा, जब तक कि निविदाकर्ता द्वारा विधिवत कोई नया पता मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा), सतपुड़ा भवन, भोपाल को पंजीकृत पावती डाक से सूचित नहीं किया जाता है ।

6.24 निविदा अहस्तांतरणीय है ।

6.25 कार्यादेश के आधार पर कार्यालय द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। किसी कामर्शियल बैंक/संस्था से लोन हेतु इकाई की अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा अनुशंसा नहीं की जावेगी ।

6.26 निविदा में प्राप्त योग्य प्रस्ताव वाली इकाई से अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय 2026–27 की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करेगा एवं इस अवधि में अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय आवश्यकतानुसार वाहन को किराये पर लेगा। निर्धारित अवधि के पूर्व अनुबंध को किसी भी समय अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

6.27 उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का पंजीयन जनवरी 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। वाहन प्रदायकर्ता इकाई (ट्रेवल्स एजेंसी) के निजी स्वामित्व में वाहन होना आवश्यक है।

6.28 किराये का वाहन खराब होने पर उस पर हुए व्ययों को अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय वहन नही करेगा ।

6.29 वाहन के टायर ट्यूब अच्छी कंडीशन के तथा माइलोमीटर हमेशा ठीक (चालू) हालत में होना अनिवार्य है।

6.30 किराये पर लिये गये वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की दुर्घटना, तोड़–फोड़ होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई उसके लिए उत्तरदायी होगी एवं समस्त खर्चे का वहन वाहन प्रदायकर्ता इकाई को करना होगा । यदि किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाते है तो आदेश के पालन की संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदायकर्ता इकाई की होगी ।

6.31 वाहन चालक की उपस्थिति व वाहन के समुचित रखरखाव (मरम्मत) की जिम्मेदारी ट्रेवल संबंधित इकाई की होगी ।

6.32 वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से वाहन की मीटर रीडिंग का, प्रतिदिन की गई यात्रा के अनुसार,

प्रमाणीकरण लॉग बुक से कराना होगा। देयक (उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित) प्रस्तुत करते समय लॉग बुक की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

6.33 वाहन की लॉग बुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयक का भुगतान किया जावेगा ।

6.34 किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटौती तथा वाहन सेवा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) सतपुड़ा भवन, भोपाल में निहित होगें ।

6.35 अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय के संबंधित अधिकारी जिन्हें अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर के द्वारा वाहन आबंटित किया गया है को निर्धारित समय व स्थान पर वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। प्रदाय न किये जाने पर अधिकतम तीन नोटिस दिये जावेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति होने पर वाहन प्रदायकर्ता इकाई द्वारा जमा धरोहर राशि मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा),सतपुड़ा भवन, भोपाल द्वारा राजसात कर ली जावेगी तथा अनुबंध समयसीमा के पूर्व तत्काल निरस्त किया जा सकेगा ।

6.36 माइलोमीटर में गड़बड़ी या हेराफेरी या वाहन चालक द्वारा सड़क मार्ग हेतु निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाने की दशा में सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार दूरी मान्य की जावेगी।

6.37 मासिक किराये पर लिये जाने वाला वाहन अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय के संबंधित अधिकारी जिन्हें अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर के द्वारा वाहन आबंटित किया गया है, के कार्यालय /अधिकारी के आवास पर खड़ा करना होगा ।

6.38 सफल निविदाकर्ता को अपने स्वयं के व्यय पर अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय की शर्तो अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वित्तीय वर्ष 2026–27 की अवधि के लिए अनुबंध निष्पादित करना होगा।

6.39 सफल/चयनित निविदाकर्ता को कार्य हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। कार्य समाप्ति उपरांत फर्म द्वारा 03 दिवस के अंदर आवश्यक रूप से देयक प्रस्तुत किया जाना है। देयक के परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

6.40 मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) सतपुड़ा भवन, भोपाल को किसी निविदा एवं समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

6.41 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंध राशि का 5 प्रतिशत का FDR निविदा अवधि एवं अनुबंध राशि का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प के रूप में निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा हेतु अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।

7. निम्नतम निविदा का निर्धारण :

निविदा के माध्यम से वाहन (टैक्सी) किराये पर लिये जाने हेतु दरों का मानकीकृत किया जावेगा जिसमें प्रथम न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी। प्राप्त निविदाओं में से निम्नतम दर की निविदा का निर्धारण निम्नानुसार अनुसार किया जाएगा। समान मानकीकृत दर पाये जाने पर ए. सी. गाड़ी एवं अधिक एक्स शोरूम प्राईज वाली गाड़ी प्रदायकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी।

निर्धारण के लिए यह आधार माना जावेगा कि औसतन प्रतिमाह गाड़ी माह में 1500 कि.मी. चलेगी तथा इसके अतिरिक्त 300 कि.मी. चलेगी एवं 05 रात्रि विश्राम होंगे इस प्रकार निम्नानुसार प्रथम न्यूनतम दर मानकीकृत की जावेगी।

यदि निविदा में वाहन का प्रतिमाह 1500 कि.मी. चलने का किराया 'ए' है, तथा 1500 कि. मी. से अधिक चलने की प्रति अतिरिक्त कि.मी. की दर 'बी' है और रात्रि विश्राम की प्रति रात्रि विश्राम दर 'सी' है।

मानकीकृत दर – (ए+300बी+5सी)/3

अधिकतम निर्धारित राशि (Cost Ceiling) – म. प्र. शासन गृह (सामान्य) विभाग क्र. एफ 17–01/2015/ दो–ए (3) दिनांक 29.06.2015 के अनुसार रहेगी।

8. आर्बीट्रेशन :

अनुबंध के क्रियान्वयन में विवाद की स्थिति में मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) सतपुड़ा भवन, भोपाल आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

9. न्यायायिक क्षेत्र :

इंदौर जिला न्यायालय न्यायायिक क्षेत्र होगा।

10. वैधानिक कटौतियाँ

इकाई के देयक में से नियमानुसार टी. डी. एस. तथा अन्य वैधानिक कटौतियाँ अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा), इंदौर कार्यालय द्वारा की जाकर शुद्ध राशि का भुगतान इकाई को ई पेमेन्ट द्वारा भुगतान से किया जावेगा।

(ए.पी.एस. जादौन)
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र.शासन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohd Imran
Date: 2026.05.18 17:46:48 IST
Location: Madhya Pradesh-MP